भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2965

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

बीपीएल परिवारों के लिए राशन

2965. श्री रामप्रीत मंडल:

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

श्री गिरिधारी यादव:

श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जारी किए गए राशन कार्डों के माध्यम से केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को ही राशन देने का प्रावधान है;

(ख) वर्तमान में बीपीएल परिवारों को राशन कार्डों के माध्यम से कितनी मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है और राशन कार्डों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अलग-अलग वस्तुओं की कीमत क्या निर्धारित की गई है; और

(ग) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के माध्यम से देश के आम आदमी को प्रदान किए जाने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए), जिसे अखिल भारतीय स्तर पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की 75% और शहरी क्षेत्र की 50% तक आबादी की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कवरेज काफ़ी अधिक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमज़ोर और ज़रूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिले।

एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों में की जाती है- केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवार और शेष परिवार, जिन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासन द्वारा स्वयं विकसित मानदंडों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर, प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में पहचाना जाएगा। इस अधिनियम के तहत कोई बीपीएल श्रेणी नहीं है।

...2/-

(ख): अधिनियम के तहत, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार, जो सबसे गरीब हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के पात्र हैं, जबकि प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क पाने के पात्र हैं।

खाद्यान्न शब्द को चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इनके किसी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो।

(ग): राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) सुविधा के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक-संचालित सुधार के माध्यम से, लगभग 80 करोड़ पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (ईपीओएस) डिवाइस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके, देश में कहीं भी, अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपने पात्रता का खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। घर पर रहने वाला परिवार भी उसी राशन कार्ड पर अपने गृह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पीएमजीकेएवाई खाद्यान्न का हिस्सा प्राप्त कर सकता है। ओएनओआरसी सुविधा देश भर के सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है, जो सभी 100% पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को कवर करती है।

*****